अपराध एवं कानून व्यवस्था – एक विष्लेशण

उत्तरांखण्ड़ राज्य के गठन से पूर्व राज्य में अपराध एवं कानून व्यवस्था समस्या नगण्य थी। लोग तीर्थाटन एवं पर्यटन के उद्देश्य से ही उत्तरांचल के जनपदों में आते थे लेकिन उत्तरांखण्ड राज्य के गठन के पश्चात राज्य के चहुंमुखी विकास होने, ग्रामों व कस्बों का शहरीकरण, **Industrial Devlopment** होने तथा पर्यटन, यातायात, शिक्षण संस्थानों व **Information Technology** के क्षेत्र में विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत बाहरी राज्यों से हर वर्ग के लोगों के साथ साथ अवांछनीय तत्वों के भी उत्तराचंल में पधारने व जन आकांक्षाओं में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य की अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

पुलिस विभाग के दो मुख्य कार्य है। प्रथम कानून व्यवस्था बनाये रखना तथा दूसरा अपराधों को नियन्त्रण में रखना है। उत्तरांखण्ड गठन के बाद जन आकांक्षाओं में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी होने के कारण राज्य में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के मेले/जुलूस/रैली/धरना/प्रदर्शन/चक्काजाम/ घेराव/वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम एवं राजस्व क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी आदि जिनकी संख्या हजारों में है, में राज्य का लगभग 40 प्रतिशत पुलिस बल लगा रहता है। इसके अतिरिक्त हर वर्ष राजस्व पुलिस के क्षेत्र नियमित पुलिस में हस्तानान्तरित होने के कारण पुलिस के कार्यक्षेत्र में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।

राज्य गठन के बाद से वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जहॉ वर्ष 2001 में राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या 3,63,916 थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 6,95,490 हो गई है। इस प्रकार वाहनों की संख्या में 91 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण यातायात समस्या हमारे लिए एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। हमने राज्य में विशेष कर जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में यातायात की समस्या से निजात पाने के एक विशेष कार्य योजना तैयार कर आयुक्त गढवाल मण्डल व कुमॉयु मण्डल को प्रेषित की हैं, जिन पर उनके द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों से कार्यवाही कराई जा रही है। इस कार्ययोजना में सड़को का चौड़ीकरण, सिगनल लाईट, चौराहों का विस्तारीकरण, अतिक्रमण हटाना, रोड डिवाइडर लगाया जाना तथा स्पीड ब्रेकर आदि का निर्माण सम्मिलित है।

राज्य के औद्योगिकरण होने के साथ–साथ श्रमिक समस्या भी उभर कर सामने आई है। **Public expectation** बढ़ जाने के कारण छोटे– छोटे पेनमे पर आये दिन जुलूस/रैली/धरना/प्रदर्शन/चक्काजाम/घेराव का आयोजन किया जाता है जिस कारण **law & order** की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उत्तरांखण्ड पुलिस ने इन सब के बाबजूद शांन्ति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनाए रखी है तथा किसी भी घटना को ऐसा स्वरूप नहीं लेने दिया गया है कि वह नियन्त्रण से बाहर हो जाए। अनेक मामलों में अत्यधिक उत्तेजनात्मक परिस्थितियों के बाद भी पुलिस द्वारा अपनी सूझबूझ व धैर्य का परिचय देते हुए कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई और हर समस्या का शान्ति पूर्वक हल किया गया।

राज्य के विकास बढती आबादी, शहरीकरण, वाहनों की संख्या में बेहताशा वृद्धि, बेरोजगारी, **Industrialisation** आदि के साथ साथ बाहरी असामाजिक तत्वों के आगमन के फलस्वरूप अपराधों में भी आंशिक वृद्धि होना स्वाभाविक है। यदि हम वर्ष 2006 तक के अपराधों की तुलना 2002 में घटित अपराधों से करें, तों जहॉ वर्ष 2002 में कुल भादवि के अभियोगों की संख्या 6361 थी वहीं वर्ष 2006 में इनकी संख्या 7133 है। इस प्रकार वर्ष 2002 के सापेक्ष केवल 12.1 प्रतिशत ही अपराध बढोत्त्री हुई है जो अन्य राज्यों में अपराधों में बढ़ोत्तरी के प्रतिशत को देखते हुए नगन्य है।

जहॉ अपराधों में आशिंक वृद्धि परलक्षित हुई है वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा अपराधों के अनावरण के भी सार्थक प्रयास किए गये हैं। वर्ष 2006 कुल 7133 अभियोगों में से 5747 अभियोगों का सफल अनावरण कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया। इस प्रकार हमने 80.56 प्रतिशत अभियोगों का अनावरण किया जो पुलिस के लिए एक सराहनीय उपलब्धि है। वर्ष 2006 में लूट/डकैती/नकबजनी/चोरी के अन्तर्गत रू0 6.91 करोड की सम्पत्ति लूटी/चोरी गयी जिसमें से रू0 1.86 करोड़ की सम्पत्ति बरामद की गयी। इस प्रकार चोरी/लूटी गयी बरामद सम्पत्ति का प्रतिशत लगभग 12.13 है, जबकि भारतवर्ष की बरामदगी का औसत प्रतिशत 23.9 है।

वर्ष 2006 में उत्तरांखण्ड पुलिस से हुई मुठभेड़ की कुल 17 घटनाओं में 25 कुख्यात एवं दुर्दान्त अपराधी मारे गये हैं। इनमे से आठ अपराधियों पर पुरूष्कार भी घोषित था। इसके साथ ही इस वर्ष 26 ऐसे शातिर अपराधी भी गिरफ्तार किए गये जिन पर रू 2500 से अधिक का इनाम घोषित था। पुलिस द्वारा अपने अथक प्रयासों से भादवि के अभियोगों में 83 डकैत, 129 लुटेरे, 522 हत्यारे, 129 बलात्कारी तथा 16 फिरौती लेने वाले अपहरणकर्ताओं सहित कुल 7378 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरांखण्ड पुलिस जहॉ अपराधियों की धरपकड़ हेतु तत्पर है, वहीं अपराधों पर नियन्त्रण पाने हेतु हमनें **Preventive Action** भी लिये है और 271 अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम/गुण्डा अधिनियम एवं 1169 असमाजिक तत्वों के विरूद्ध 109/110 **naizl** के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

अपनी अदंरूनी कमियों को भी हमने कुछ हद तक पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी पुलिस कर्मियों का उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त करने हेतु लगभग 8259 आरक्षियों की भर्ती की गई है। अभी लगभग 3000 आरक्षियों की भर्ती की प्रकिया प्रचलित है।

अपराध नियन्त्रण के क्षेत्र में दो तरफा प्रयास किये गये हैं। एक ओर सामान्य जनता में **feeling of security** बढाने के लिए प्रयास किये गये जैसे **senior citizens** को **identify** करके उन्हें सुरक्षा व सहायता प्रदान करना तथा उनकी **problems** को दूर करना, छात्रों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए **Institutions** के **heads** को **sensitize** करना, महिला हैल्प लाइन, महिला डैस्क एवं एच्छिक ब्यूरो के माध्यम से महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों एवं पारिवारिक विवादों को सुलझाने का प्रयास, लिंग भेद को दूर करने व जागरूक करने के उद्‌देश्य से तीन जनपदों के उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का एक **Gender Sensitization Workshop** तथा छात्र–छात्राओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए स्कूल कालिजो में **UAC & Self Defence** विषय पर ट्रेनिंग आदि। दूसरी तरफ आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए सीमावर्ती राज्यों के सीमावर्ती जिला पुलिस प्रमुखों के **coordination** से **joint patroling** , ग्राम व मौहल्ला सुरक्षा समितियो का पुनर्गठन कर सक्रिय करना, राज्य के बाहर से आये फेरी फड़ लगाने वाले, किरायेदार, घरेलू नौकर, शिक्षण संस्थानों के छात्र आदि संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका सत्यापन कराना तथा जघन्य व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य स्तर पर **Special Task Force** तथा जिला स्तर पर **SOG** का गठन आदि शामिल है।

यह एक खुशी की बात है कि इस समय पूरे देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार का एक माहौल बना हुआ है, तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं इस बारे में दिशा निर्देश दिये गये हैं। नये आर्दश **Police Act** के सम्बन्ध मे प्रक्रिया प्रचलित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उत्तरांचल पुलिस द्वारा अपनाई जा रही उक्त कार्यशैली व कार्यप्रणाली के परिणाम भी परिलक्षित होने प्रारम्भ हो रहे हैं तथा भविष्य में और अच्छे परिणाम प्राप्त होने की आशा है।

———